

**प्रेस विज्ञप्ति**

**थाना- बरदह**

**चोरी गये 2 जोडी पायल के साथ अभियुक्त गिरफ्तार**

पुलिस अधीक्षक आजमगढ़ सुधीर कुमार सिंह द्वारा चलाये गये अभियान चेकिंग संदिग्ध व्यक्ति/वाहन गिरफ्तारी वांछित अभियुक्तों के क्रम में आज दिनांक 10.10.2020 को उ०नि० संजय कुमार सिंह मय हमराह रवाना सुदा रो०आम तारीखी द्विरोजा से देखभाल क्षेत्र रोकथाम जुर्म जरायम तलाश वांछित अपराधी संदिग्ध के तथा पेन्डिंग विवेचना जाँच प्रार्थना पत्र में मामूर होकर सरायमोहन कस्बे में खड़े होकर वाहनों की चेकिंग कर रहे थे कि मुखबिर खास ने बताया कि ग्राम बिजौली में तारा देवी के घर में जो चोरी हुई थी। उससे सम्बन्धित आरोपी बबलू पुत्र स्व० मंगरू निवासी ग्राम सरायमोहन मुसहर बस्ती थाना बरदह जिला आजमगढ़ जिसकी आप लोग तलाश कर रहे हैं वह गाँव बक्सपुर जाने वाले तिराहे पर खड़ा है। मुखबीर की सूचना पर विश्वास करके पूर्व से क्षेत्र में रवाना का० योगेन्द्र यादव व का० बृजेश यादव को उक्त स्थल पर पहुँचने बताकर मुखबीर को स्वयं लेकर बताये हुए स्थान की ओर चल दिया कि जैसे ही ग्राम कम्मरपुर जाने वाले तिराहे के करीब आये कि कुछ दूरी पहले मुखबीर सामने खड़े व्यक्ति की ओर इशारा करके चला गया इस सूचना पर पुलिस द्वार एक बारगी होकर सुरेन्द्र यादव चाय की दुकान के सामने समय करीब 12.05 बजे मुखबिर द्वारा बताये गये व्यक्ति को पकड़ लिया गया। पकड़े गये व्यक्ति से नाम पता पूछा गया तो अपना नाम बबलू पुत्र स्व० मंगरू निवासी ग्राम सरायमोहन मुसहर बस्ती थाना बरदह जिला आजमगढ़ उम्र करीब 35 वर्ष बताया। पकड़े गये व्यक्ति की जामा तलाशी ली तो पहने हुए पैन्ट की दाहिनी जेब से दो अदद पायल सफेद धातू का मिला। बरामद पायल के सम्बन्ध में पूछा गया तो बताया कि यह वही पायल है जो दिनांक 19.08.2020 की रात किशन सरोज के साथ मिलकर गांव बिजौली में चोरी किये थे चोरी से मिले सामान पैसा दोनों आपस में बाट लिये थे जिसमें पैसा खर्च हो गया है। आज पायल को बेचने के लिए ग्राहक की तलाश कर रहे थे कि आप लोगों ने पकड़ लिया। अभियुक्त को गिरफ्तार कर चालान माननीय न्यायलय किया जा रहा है।

**पूछताछ का विवरण-** अभियुक्त द्वारा पूछताछ के दौरान बताया गया कि दिनांक 19/20.8.20 की रात्री मे अपने साथी किशन सरोज के साथ मिलकर ग्राम सरायमोहन तारा देवी पत्नी रामभवन के घर मे चोरी किया था

**आपराधिक इतिहास-**

198/20 धारा 380,457,411 भादवि

**गिरफ्तार अभियुक्त-**

1-बबलू पुत्र मंगरू ग्राम सरायमोहन थाना बरदह जनपद आजमगढ़

**बरामदगी-**

**2 जोडी पायल सफेद धातू की**

**गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीम-**

उ०नि० संजय सिंह का० योगेन्द्र यादव का० वृजेश यादव का० अनुपम सिंह

**थाना- गम्भीरपुर**

**दहेज हत्या में वांछित अभियुक्ता गिरफ्तार**

आवदेक रामआसरे प्रजापति पुत्र भुल्लन प्रजापति निवासी गोसाईपुर मोहांव थाना चोलापुर जनपद वाराणसी के लिखित तहरीरी सूचना पर दिनांक 04.09.20 को वादी की बेटे सीमा देवी को दहेज को लेकर प्रताड़ित करने व हत्या कर देने के सम्बन्ध में मु०अ०सं० 145/20 धारा 498ए, 304बी भा०द०वि० व 3/4 डी०पी० एक्ट थाना गम्भीरपुर जनपद आजमगढ़ बनाम 1. इन्द्रजीत प्रजापति पुत्र धन्जु प्रजापति, 2. धन्जु प्रजापति पुत्र स्व० मुन्नीलाल प्रजापति, 3. बुधिया प्रजापति पत्नी धन्जु प्रजापति निवासीगण हरईरामपुर थाना गम्भीरपुर जनपद आजमगढ़, 4. जितेन्द्र प्रजापति पुत्र मित्तु प्रजापति निवासी मउवा गौरा बादशाहपुर जनपद जौनपुर पंजीकृत हुआ था। जिसमें अभियुक्तगण 1. इन्द्रजीत प्रजापति पुत्र धन्जु प्रजापति, 2. धन्जु प्रजापति

पुत्र स्व० मुन्नीलाल प्रजापति निवासीगण हरईरामपुर थाना गम्भीरपुर जनपद आजमगढ़ को पूर्व में गिरफ्तार कर जेल भेजा जा चुका है।

**गिरफ्तारी का विवरण-**पुलिस अधीक्षक आजमगढ़ सुधीर कुमार सिंह द्वारा चलाये जा रहे अभियान वांछित /वारण्टी की गिरफ्तारी तथा सदिग्ध व्यक्तियों के चेकिंग के तहत पुलिस अधीक्षक नगर महोदय व क्षेत्राधिकारी सदर के निर्देशन में आज दिनांक 10.10.2020 को उ०नि० विजय प्रकाश मौर्य मयहमराह का० भानु प्रताप यादव व महिला आरक्षी रेनू देवी के मु०अ०सं० 145/20 धारा 498ए, 304बी भा०द०वि० व 3/4 डी०पी० एक्ट थाना गम्भीरपुर जनपद आजमगढ़ की वांछित अभियुक्ता बुधिया प्रजापति पत्नी धन्जू प्रजापति ग्राम हरईरामपुर थाना गम्भीरपुर जनपद आजमगढ़ को उसके घर ग्राम हरईरामपुर से समय करीब 13.10 बजे गिरफ्तार कर चालान माननीय न्यायलय किया जा रहा है।

#### **पंजीकृत अभियोग-**

मु०अ०सं० 145/20 धारा 498ए, 304बी भा०द०वि० व 3/4 डी०पी० एक्ट

#### **गिरफ्तार अभियुक्ता-**

बुधिया प्रजापति पत्नी धन्जू प्रजापति ग्राम हरईरामपुर थाना गम्भीरपुर जनपद आजमगढ़

#### **गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीम-**

उ०नि० विजय प्रकाश मौर्य 2.का० भानुप्रताप यादव 3.म०आ० रेनू देवी

#### **थाना देवगाँव**

#### **01 वांछित गिरफ्तार**

दिनांक 10.10.2020 को श्रीमान पुलिस अधीक्षक महोदय आजमगढ़ द्वारा चलाये गये अभियान चेकिंग सदिग्ध व्यक्ति/वाहन गिरफ्तारी वांछित अभियुक्तों के क्रम में प्र.नि. संजय कुमार सिंह मय हमराह क्षेत्र मे मामूर थे कि मुखविर खास से सूचना मिली कि मु.अ.स. 59/2020 धारा 419/420/467/468/477ए भादवि के वांछित अभियुक्त श्रीप्रकाश तिवारी पुत्र स्व० मंगला प्रसाद तिवारी निवासी खरगपुर थाना गम्भीरपुर जनपद आजमगढ़ मसीरपुर तिराहे पर खड़ा है इस सूचना पर तत्काल मौके पर पहुँचकर समय करीब 12.30 बजे अभियुक्त को गिरफ्तार कर चालान माननीय न्यायलय किया जा रहा है।

#### **गिरफ्तार अभियुक्त-**

1- श्रीप्रकाश तिवारी पुत्र स्व० मंगला प्रसाद तिवारी निवासी खरगपुर थाना गम्भीरपुर जनपद आजमगढ़

#### **आपराधिक इतिहास-**

मु.अ.स. 59/2020 धारा 419/420/467/468/477 ए भादवि थाना देवगाँव आजमगढ़

#### **गिरफ्तारी करने वाली टीम-**

1. प्र.नि. संजय कुमार सिंह थाना देवगाँव आजमगढ़
2. उ.नि. अनिल सिंह चौकी प्रभारी लालगंज थाना देवगाँव आजमगढ़
3. हे० का० इसरार शेखचौकी लालगंज थाना देवगाँव आजमगढ़
4. का० मेराज अली चौकी लालगंज थाना देवगाँव आजमगढ़